पत्रांक.....41...../गो0

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

प्रेषक,

के0एस0 द्विवेदी,
पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
बिहार।

पटना, दिनांक–09/04/2018

विषयः– अपराध/अनुसंधान के संबंध में।

महाशय,

चोरी एवं गृहभेदन के अपराध के अतिरिक्त इन दिनों हत्याएँ एवं कैश लूट की घटनाएं काफी प्रतिवेदित हो रही हैं। इनके रोकथाम एवं प्रभावी अनुसंधान के संबंध में निम्नांकित आदेश दिये जा रहे हैं। इन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किया जाय।

2. (i) हत्याओं की घटनाओं के संबंध में प्रायः यह कहा जाता है कि हत्या का अपराध रोका नहीं जा सकता है। किन्तु यह बात सदैव सत्य नहीं है। अच्छा अनुसंधान एवं त्वरित विचारण एवं शीघ्र सिद्धदोष (conviction) हत्या के मामले में भी एक deterrent हो सकता है। अतः हत्या के कांडों का वैज्ञानिक अनुसंधान करें और अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर शीघ्र आरोप–पत्र समर्पित करें।

(ii) हत्या के अधिकांश मामले भूमि–विवाद से संबंधित होते हैं। भूमि–विवाद के संबंध में मैंने पूर्व में ही निर्देश दिया है कि भूमि–विवाद की शिकायत होने पर थाना शीघ्र attend करे और स्थिति का आकलन कर निरोधात्मक कारवाई अथवा भा0द0वि0 के अंतर्गत कार्रवाई की जाय। की गयी कार्रवाई के संबंध में थाना दैनिकी में प्रविष्टि अवश्य की जाय। हत्या की घटना में पर्यवेक्षण पदाधिकारी के समक्ष यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि हत्या का कारण भूमि–विवाद है तो इस बात की छान–बीन अवश्य करेंगे कि भूमि–विवाद का मामला थाना के समक्ष आया था या नहीं। यदि थाना के समक्ष भूमि–विवाद का मामला आया था तो यह भी देखेंगे कि थाना द्वारा क्या कार्रवाई की गयी थी। भूमि–विवाद से संबंधित हत्या कांड के पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षणकर्त्ता अधिकारी उपरोक्त तथ्यों का अवश्य उल्लेख करेंगे और यह भी टिप्पणी देंगे कि यदि यथोचित् कार्रवाई नहीं की गयी तो उसके लिये कौन दोषी है।

3. (i) कैश–लूट के मामले काफी बढ़ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने क्षेत्र में हो रही कैश लूट की घटनाओं का अध्ययन कर जो संभावित लूट के स्थान हैं, उन पर पुलिस गश्ती बढ़ाएँ तथा आवश्यकता अनुसार Decoy प्रतिनियुक्ति करें ताकि

लूट करने वालों को रंगे हाथ पकड़ा जा सके। एक क्षेत्र से प्रतिवेदित पूर्व के कांडों की समीक्षा कर यह देखें कि उनके आरोपित या संदिग्ध जेल में हैं या बाहर हैं तथा वर्तमान में घटित घटनाओं में उनकी संलिप्तता की जाँच करें। संलिप्त पाये जाने पर जमानत रद्द कराने की कार्रवाई करें और साक्ष्य के आधार पर नये कांडों में आरोप–पत्र समर्पित करें। यह तय है कि अपराधियों की संख्या सीमित है और उनका Area of operation भी प्रायः सीमित ही होता है।

(ii) नागरिकों को जागरूक करें तथा यदि वे कैश जमा–निकाशी के लिए बैंक आने–जाने में पुलिस संरक्षण की मांग करें तो अवश्य संरक्षण प्रदान किया जाय।

4. चोरी एवं गृहभेदन के मामलों में उद्भेदन तथा आरोप–पत्र का प्रतिशत निराशाजनक है। ये घटनायें भी सीमित गिरोह/सीमित व्यक्तियों द्वारा कारित की जाती है। अतः क्षेत्र के आधार पर घटनाओं की प्लौटिंग कर पूर्व में घटित कांडों का सामूहिक पर्यवेक्षण/समीक्षा करें। संलिप्त गिरोह चिन्हित कर उनके सदस्यों का सत्यापन करें। गहराई से अनुसंधान कर साक्ष्य संकलित करें। साक्ष्य पाये जाने पर अंतिम प्रतिवेदित कांडों में अनुसंधान पुनः खोलकर गिरफ्तारी कर आरोप–पत्र समर्पित करें।

विश्वासभाजन,

9/4/18

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 41 /गो0, पटना, दिनांक– 09.04.2018

प्रतिलिपिः अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग को इस अनुरोध के साथ कि वे अनुपालन एवं फलाफल से मुझे कृपया अवगत करायेंगे तथा अनुसंधान का अनुश्रवण करेंगे।

2. सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक (रेल सहित)/क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ। वे अपनी मासिक समीक्षा में पुलिस अधीक्षकों द्वारा इन आदेशों के अनुपालन के संबंध में कृपया स्पष्ट टिप्पणी करेंगे।

9/4/18

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।